विचार बिन्दु

स्वयं को भेड़ बना लोगे तो भेड़िये आकर तुम्हे खा जायेंगे। –जर्मन कहावत

राज्य के माली हालात अच्छे नहीं हैं पर चिंता कौन करे

ऐसा लगता है अपने को जनता की सबसे बड़ी हितैषी साबित करने के लिए राजस्थान सरकार अपने राजकोष को दोनों हाथों से लुटाने में लगी है। जिसकी झोली में जितना समाए वह ले, ले। सारे आधिकारिक संकेत यह इंगित करते हैं कि राज्य की माली हालत अच्छी नहीं है जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। राज्य की वित्तीय स्थिति को तीन चीजों से आंका जाता है। पहला तो यह कि उसके राजस्व खाते की हालत कैसी है। वह घाटे में चल रहा है या आधिक्य में है। दूसरा, उसके राजकोष की स्थिति और तीसरा उसके द्वारा लिया गया कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कितना है? इसका आकलन भारत की संवैधानिक संस्था नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सीएजी) नियमित रूप से करती है और प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट देती है जिसे राज्य सरकार को विधानसभा के पटल पर रखना पड़ता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम, बजट दस्तावेज़, आर्थिक समीक्षा 2020-21, पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट और विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों से प्राप्त वित्तीय डेटा के आधार पर सीएजी द्वारा राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। उसकी ताजा रिपोर्ट राज्य की वित्तीय हालत के भयावह संकेत देती है। उसकी सबसे बुरी सूचना तो यह है कि राजस्थान का राजकोषीय घाटा जो 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.77 प्रतिशत था वह एक ही साल 2020-21 में बढ़ कर 6.20 प्रतिशत हो गया। यह वह समय है जब से राज्य के शीर्ष राजनैतिक नेतृत्व ने लोकलुभावन वाली राह पकड़ी। इसका कारण किसी से छुपा नहीं है।

सत्ताधारियों द्वारा राजकोष से किये जाने वाले लोकलुभावन खर्चों से अर्थव्यवस्था को चौपट होने से बचाने के लिए 2005 में राजकोषीय उत्तरदायिव एवं बजट प्रबंधन कानून (एफआरबीएम अधिनियम) बनाया गया था। मगर राज्य सरकार को उसे भी नज़रन्दाज़ करने से उठा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार का राजस्व घाटा 44,001 करोड़ रुपयों का था। इस घाटे की हालत में राज्य पर राजकोषीय देनदारियां अर्थात कुल बकाया ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में बढ़ कर 42.37 प्रतिशत हो गया जबकि कानून की मंशा के अनुसार वह 38.20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 5,805.93 करोड़ रुपए (4.14 प्रतिशत) की कमी आई, जबकि राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 71,824.31 करोड़ (1.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसने राजस्व घाटे को बढ़ाया। एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार तो राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से अपना राजस्व घाटा पूरी तरह समाप्त कर शून्य कर देना था और उसके बाद उसे शून्य पर बनाए रखना था। अर्थात सरकार को प्रशासन पर उतना ही खर्च करना लाकिमी है जितनी उसकी आमद है। साधारण भाषा में कहें तो उतने ही पैर पसारने हैं जितनी चादर है। किन्तु जब निर्वाचित शासन अपने राजनीतिक फायदे के लिए मतदाता के तुष्टीकरण पर उतर आए तब चादर छोटी पड़ ही जाती है। ऐसे में खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जनता पर भविष्य में भारी पड़ने वाले कदम को उठाने में भी नहीं हिचकती है। वह उधार ले कर काम चलाने लगती है। बजट में दो खाते होते हैं - राजस्व खाता तथा पूंजीगत खाता। राजस्व खाते में करों से तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे आबकारी तथा भू राजस्व आदि से आय होती है जबकि पूंजीगत खाते में उधार ली हुई रकम आती है। यह व्यवस्था इसलिए है कि सरकार पैसा उधार लेकर विकास के उन कामों पर खर्च करे जिनसे न केवल जनता के लिए सुविधाएं बनें बल्कि उनसे आय भी हो जिसके लिए ली गई उधारी चुक सके। वैसे ही जैसे किसी व्यवसाय में होता है कि कर्जा लेकर कोई उपक्रम शुरू किया जाता है और उससे होने वाली आमद कर्जा भी चुकाया जाता है और अपना काम भी चलाया जाता है। लेकिन धंधे के लिए कर्जा ले कर उसे अनुत्पादक कामों जैसे भोज करने या उत्सव करने में लगा दिया जाय तो धंधा तो नहीं चलेगा और दिवालिया होने की सूरत बन सकती है। ऐसा ही कुछ राज्य सरकार का हाल हो रहा है। उसका पूंजीगत खर्चा एक साल में 552.44 करोड़ रुपये (3.75 प्रतिशत) बढ़ गया। राजनेताओं की रुचि ऐसे पूंजीगत खर्च में अधिक होती है जिसमें खूब ठेके दिये जा सकें।

राजकोष का पैसा किसी की निजी संपत्ति नहीं होता। वह लोगों के खून पसीने की कमाई से आया पैसा होता है। शासन में बैठे लोग उसके केवल ट्रस्टी होते हैं। इसलिए उनकी जिम्मेवारी बनती है कि राजकोष के एक-एक पैसे का सदुपयोग हो और दक्षता से हो।

महानियंत्रक लेखाकार की रिपोर्ट में यह गंभीर टिप्पणी भी है कि राज्य सरकार की बजटीय धारणाएं यथार्थवादी नहीं है। शासन में भले ही बजट बनाने की दक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनी हुई है उसके बावजूद बजट के गलत अनुमान लगाए जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में बजट के बनाने और उसके निष्पादन में बड़ी खामियां हैं और उस पर पर्याप्त नियंत्रण की कमी है। स्वाभाविक ही है कि यह सवाल पूछा जाय कि ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि ऐसा राजनैतिक दखलंदाजी के कारण होता है। वह तब होता है जब शासन प्रशासन लापरवाह हो जाता है। सरकारी मशीनरी सत्ता में बैठे निर्वाचित राजनेताओं की निजी जागीर बन जाती है और नौकरशाह उनकी कठपुतलियां। ऐसे में नौकरशाओं की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होने लगी है और वे पूरी भी होती दिखती है। जब ऐसा होता है तब नियम और कायदे कानून कागजों में रह जाते हैं और राज्य की आमदनी और खर्च का हिसाब गड़बड़ा जाता है। यह गड़बड़ राज्य के सालाना बजट में झलकती है जिस पर निगाह रखने की अपनी जिम्मेवारी लगता है विधायिका कब का त्याग चुकी है।

बजटीय लापरवाही का दृष्टांत इस रिपोर्ट में मिलता है। वह बताती है कि सरकार ने इस साल सदन से 36,253.96 करोड़ रुपयों की अनुपूरक अनुदान राशि मंजूर कारवाई। मगर वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद पता चला कि वास्तव में 27,052 करोड़ रुपयों की राशि तो खर्च ही नहीं हुई। यह कुल बजट की 10.08 प्रतिशत राशि थी। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार को बजट के प्रति कोई चिंता ही नहीं है और उससे कोई जवाब भी नहीं मांग रहा है। ऐसा शासन तंत्र में इसी साल हुआ हो ऐसा नहीं है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान बजट के अनुपूरक प्रावधान लगातार अनावश्यक साबित हुए हैं। महालेखाकार और नियंत्रक द्वारा हर साल इन मुद्दों को उठाने के बावजूद पिछले कई वर्षों में राज्य सरकार अपनी व्यवस्था को सुधारने में विफल रही है। सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। इस संबंध में विधानसभा की जन लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों को भी राज्य सरकार ने नजरंदाज किया है। प्रशासनिक नियंत्रण की असफलता इससे झलकती है। निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों के बावजूद सरकारी विभागों द्वारा विशिष्ट विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित धन के उपयोग के प्रमाण पत्र और विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किया जाना और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने खाते नहीं प्रस्तुत किया जाना विधिक व्यवस्था का उल्लंघन तो दर्शाता ही है साथ ही यह भी इंगित करता है कि सरकार में आंतरिक नियंत्रण की कमी है तथा राज्य सरकार का निगरानी तंत्र कमजोर है। यह कमजोरी प्रशासनिक तंत्र में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण आती है।

महालेखाकार राज्य सरकार के खातों का ऑडिट संविधान की धारा 149 और 151 के तहत करता है। कोई खामी सामने आने पर उसकी जांच रिपोर्ट पहले संबंधित इकाई के प्रभारी को दी जाती है। उनके जवाब आने के बाद उन पर विचार किया जाता है। बहुत सी ऑडिट आपत्तियां वहीं खत्म हो जाती है या उन पर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। मगर सरकार में क्या हो रहा है इसका खुलासा महालेखाकार की यह रिपोर्ट खुद देती है जो विधानसभा के पटल पर रखी जाती है तथा वह सार्वजनिक दस्तावेज होती हैं। मगर विधानसभा के हमारे निर्वाचित सदस्यों को उन्हें पढ़ने की काम ही फुरसत होती है। संवैधानिक दायित्वों से चलने वाला लोकतान्त्रिक शासन की सबसे पहली शर्त राजकोष का ठीक से हिसाब-किताब रखा जाना होता है क्योंकि इसका पैसा किसी की निजी संपत्ति नहीं होता। वह लोगों के खून पसीने की कमाई से आया पैसा होता है। शासन में बैठे लोग उसके केवल ट्रस्टी होते हैं। इसलिए उनकी जिम्मेवारी बनती है कि राजकोष के एक-एक पैसे का सदुपयोग हो और दक्षता से हो। दक्षता पर तब पानी फिरा हुआ नज़र आता है जब हम महालेखाकार की रिपोर्ट में यह पढ़ते हैं कि मार्च 2020 तक सरकारी विभागों को जारी 3,644 जांच रिपोर्टों में 17,119 ऑडिट पैरे दिए गये जिनमें 24,383 करोड़ 73 लाख रुपयों की अनियमितताएं इंगित की गई थी मगर उनका जवाब नहीं मिला। जवाब आने में सबसे बड़ी कोताही सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी बरतता है। मगर विभागों के प्रमुखों से कौन पूछे कि वे क्यों इतनी अकुशलता से काम करते हैं? यह जानकारी भी यही रिपोर्ट देती है कि प्रत्येक विभाग में एक ऑडिट कमेटी बनी हुई है। कम से काम चार ऐसे विभाग भी हैं जहां 2019-20 में उनकी ऑडिट कमेटियों की एक भी बैठक नहीं हुई जो नियमानुसार होनी चाहिए थी। आर्थिक हालात का एक और संकेतक सकल घरेलू उत्पाद होता है जो बताता है कि देश का यह सबसे बड़ा राज्य सातवें नंबर पर है। इसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में बदलें तो हालत और भी बुरी नज़र आती है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान देश के राज्यों में 23वें नंबर पर है। दुर्भाग्य से आमजन इन गुत्थियों को नहीं समझता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधि उन्हें समझना नहीं चाहते।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

सचिन पायलट को बगावत करने के लिये मजबूर कर रहा है आलाकमान?

राजस्थान कांग्रेस की सरकार में 25 सितंबर को उठे सियासी तूफान के बाद जिन दो मंत्रियों और एक चैयरमेन को नोटिस दिया गया था, उनके खिलाफ कार्यवाही होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। तीनों ही लोग अशोक गहलोत के खास हैं, और कहा जाता है कि आलाकमान के खिलाफ बगावत करने का काम भी इन्होंने गहलोत के आर्शीवाद से ही किया था। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात कर उस घटना पर माफी मांग चुके हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करना उसी दिन तय हो गया था, तब गहलोत ने सोनिया गांधी से मिलकर पूरे घटनाक्रम पर माफी मांग ली थी।

उस घटना के बाद एक बार लगा था कि गहलोत के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही हो सकती है, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी से मिलकर पूरे मामले को ना केवल समझाया, बल्कि मंत्रियों की बगावत को भी अपने ऊपर लेते हुये मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पिछले दिनों सचिन पायलट ने जयपुर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की थी, तब भी यह दिखाने का प्रयास किया गया कि शायद कांग्रेस आलाकमान अब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करने जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अब यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि सचिन पायलट का मुख्मयंत्री बनने का सपना शायद इस बार भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अशोक गहलोत जिस आत्मविश्वास से आलाकमान के आदेश के बाद भी खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनको कुर्सी जाने का अब कोई खतरा नहीं लग रहा है।

कांग्रेस आलाकमान द्वारा विधायकों और मंत्रियों को अपना मुंह बंद रखने की सलाह के बाद भी ओसियां से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा काफी आक्रामक हैं, वह ट्वीटर के जरिये लगातार शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ पर कार्यवाही करने की मांग कर रही हैं। इससे पहले वह मीडिया के सामने आकर भी खुलेआम इन लोगों के खिलाफ बयानबाजी चुकी हैं। विधायक मदेरणा के अलावा कोई भी विधायक या मंत्री बोलने को तैयार नहीं हैं। सचिन पायलट कैंप की चुप्पी ने यह साबित कर दिया है कि अब कांग्रेस आलाकमान के निर्णय के बाद कोई बड़ा तूफान आने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की ओर कोई आदेश नहीं दिया गया है, जिसके कारण इंतजार किया जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है। जबकि हकीकत यह है कि अध्यक्ष के सबसे तगड़े दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी सूरत में गांधी परिवार के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। जिससे यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि अध्यक्ष का चुनाव और गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं बनाना केवल कागजी कार्यवाही से अधिक कुछ भी नहीं है। यदि खड़गे अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, तो फिर साफ है कि वह केवल डमी अध्यक्ष हैं और पार्टी में कुछ भी बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है।

वैसे भी सोनिया गांधी तो अशोक गहलोत के ही पक्ष में मानी जाती हैं,

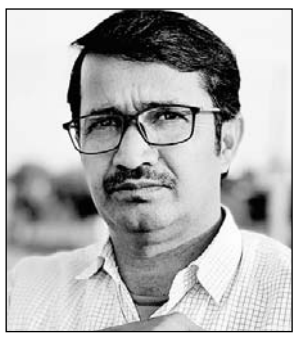

रामगोपाल जाट

यदि खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी उनकी ही चलती रही तो तय है कि अशोक गहलोत अपना पांच साल का कार्यकाल आराम से पूरा करेंगे। हालांकि, सवाल यह उठता है कि क्या सचिन पायलट ऐसा होने देंगे? यदि सचिन पायलट इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री नहीं बने तो कम से कम 6 साल इंतजार करना होगा। उसके बाद भी इस बात की कोई गांरटी नहीं है कि कांग्रेस की सत्ता लौट आयेगी और वही मुख्यमंत्री बनाये जायेंगे। सवाल यह भी है कि क्या सचिन पायलट जो इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनने की मेहनत कर रहे हैं, वह कितना धैर्य रख पायेंगे?

संख्या के समीकरण की बात की जाये तो अशोक गहलोत जहां खुद के साथ 102 विधायकों का दावा कर रहे हैं, वहीं सचिन पायलट कैंप में भी 20 से अधिक विधायक हैं, जबकि 3 आरएलपी, 2 बीटीपी, 2 सीपीएम के विधायक हैं, इसी तरह से 13 निर्दलीय विधायक हैं, जिनको अशोक गहलोत खुद अपने खेमे में ही गिनाते रहते हैं। असल बात यह है कि दिव्या मदेरणा, राजेंद्र गुढ़ा, खिलाडीलाल बैरवा, गिर्राज मल्लिंगा, गंगादेवी, इंदिरा मीणा जैसे कई विधायक खुद को आलाकमान के साथ होने का दावा कर चुके हैं, तो फिर अशोक गहलोत कैंप में 102 का दावा कैसे किया जा सकता है? खाचरियावास का कहना है कि 82 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जबकि असल संख्या अभी तक भी सामने नहीं आई है।

सवाल यह भी उठता है कि जब इतने विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, तो फिर विधानसभाध्यक्ष सीपी जोशी ने इनके इस्तीफे स्वीकार क्यों नहीं किये? क्या इस्तीफा देना केवल नाटक मंडली के खेल से अधिक कुछ नहीं था? क्या विधायकों के इस्तीफे जबरन लिये गये थे ? क्या संविधान के अनुसार किसी विधायक से कोई नेता, मुख्यमंत्री या विधानसभाध्यक्ष जबरन इस्तीफा ले सकते हैं? संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, फिर दबाव बनाकर इस्तीफा साइन करवाना और उनको स्वीकार नहीं करना क्या कहलाता है ? बात यह है कि यह पूरा राजनीतिक दबाव बनाने का ड्रामा था, जिसके रचियता खुद अशोक गहलोत ही माने जाते हैं।

राजस्थान में अगले कुछ दिनों में नया सियासी ड्रामा होने की संभावना नहीं है, लेकिन 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद फिर से कुछ घटनाक्रम होने उम्मीद लगाई जा रही है। उससे पहले सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सचिन पायलट इस बार भी अशोक गहलोत के सामने मात खा गये हैं? क्योंकि यदि सीएम का चेहरा नहीं बदला तो सचिन पायलट का कांग्रेस में दम घुटने लगेगा, जो ना तो उनको और ना ही उनके समर्थक विधायकों को पसंद है। हालांकि, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के फैसले का इंतजार करते करते सचिन पायलट करीब 27 महीनों का समय निकाल चुके हैं और यदि अब भी उन्होंने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो बचे हुये 15 महीनें भी यूं ही निकल जायेंगे, जिसके बाद राज्य में सत्ता रिपीट होना तो दूर की बात है, कांग्रेस की हालात 2013 के चुनाव से भी अधिक बुरी होती हुई दिखाई दे रही है।

इसका अर्थ यह लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान पहली बात तो अशोक गहलोत के खिलाफ एक्शन लेने की हालात में नहीं है, दूसरी बात इस तरह से सचिन पायलट को सत्ता से दूर रखकर उनको बगावत करने को मजबूर कर रहा है। वैसे भी कांग्रेस के पास देश में सचिन पायलट जैसा दूसरा नेता नहीं बचा है, जो अपने दम पर देश के सभी राज्यों में भीड़ जुटाने पाने का कद रखता हो। खुद राहुल गांधी और अशोक गहलोत को भी राजस्थान में भीड़ के लिये सचिन पायलट का सहारा लेना पड़ता है। सचिन पायलट की इस ताकत को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जितना जल्दी समझ जायेंगे, उतना ही कांग्रेस का भला होगा, अन्यथा अशोक गहलोत के दम पर सत्ता रिपीट करने का सपना हमेशा के लिये सपना ही रह जायेगा।

रामगोपाल जाट,
वरिष्ठ पत्रकार

'ईआरसीपी को मूर्त रूप देने का काम केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय का'

रूपारेल नदी, अलवर एवं भरतपुर जिलों में क्रमश: 40 एवं 60 प्रतिशत का बहाव क्षेत्र रखती है। वर्ष 1910 में अलवर एवं भरतपुर राज्यों के मध्य समझौते के अनुसार जयसमंद बांध तैयार हुआ। गंगानगर में गंग नहर आई, जयपुर में रामगढ़ एवं कालक जैसे बांध बने, इसी प्रकार राजस्थान में अनेक बांधों का निर्माण राजाओं के राज में हुआ, जिससे जनसामान्य लाभान्वित हुए। अमृत काल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद राज्य की सबसे बड़ी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सामंती सोच बाधा बनेगी यह कल्पनातीत होते हुए भी सच है।

राजस्थान राज्य में 2.02485 लाख हेक्टर नवीन सिंचित क्षेत्र बनने, 80,878 हेक्टर की पुरानी सिंचित भूमि को जीवन प्रदान करने, दिल्ली-मुंबई गलियारा सहित अन्य उद्योगों को पानी उपलब्ध कराने तथा 13 जिलों की 40 प्रतिशत जनसंख्या के कंठों की प्यास बुझाने के लिए पीने का मीठा पानी उपलब्ध कराने की परियोजना को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय पलीता लगाने में जुटेगा विश्वास नहीं होता किंतु यह एक तथ्य है। यह भी तब, जब देश के प्रधानमंत्री इस परियोजना के संबंध में संवेदनशीलता के साथ सकारात्मकता से विचार करने का जयपुर, अजमेर एवं हिंडौन की जनसभाओ में राजस्थान की जनता को आश्वस्त किया था।

कैसे प्रकट हुई सामंती सोच :-

इस परियोजना को राज्य के 13 जिलो के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए ही वर्ष 2018 में प्रसन्न मन से यह घोषणा की थी, उसे पूरा करने का काम संबंधित जल शक्ति मंत्रालय का है, जिसके द्वारा प्रभावी रूप से ठोस प्रस्ताव तैयार करने से यह परियोजना आगे बढ़ती है, इस मंत्रालय को ही प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार धरातल पर उतारकर मूर्त रूप देने के लिए काम करने दायित्व है, किंतु जल शक्ति मंत्रालय इसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है। राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के बीच नदियों के जल को लेकर कोई विवाद नहीं रहा न है, दोनों राज्यों में सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। अन्तर्राजीय जल के संबंध में नियंत्रण मंडल नीति नियामक की सर्वोच्चता प्राप्त संस्था है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमत्री के द्वारा ही की जाती है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सम्बंधित विभागों के मंत्रियों सहित प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारियों की भागीदारी रहती है। इस बैठक के उपरांत 27 जून 2018 को भोपाल में चार अधिकारियों की बैठक में इस परियोजना को 50 के

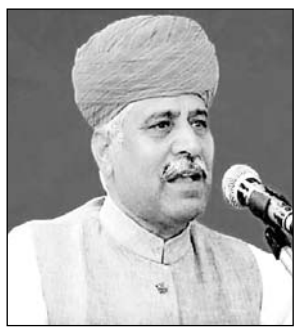

रामपाल जाट

स्थान पर 75 प्रतिशत पानी की निर्भरता पर पुनरीक्षित करने का उल्लेख कर दिया गया। केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय निरंतर राजस्थान राज्य को कोसने का काम कर रहा है। 4 जनवरी 2019 को समाचार पत्रों में प्रधानमन्त्री का वक्तव्य प्रकाशित हुआ था ..... केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो राज्यों को आपस में पानी के बटवारे के लेकर झगडा कराती थी..... अब राज्यों में पानी को लेकर कोई झगडा नहीं है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट ने भी अपने साक्षात्कार में पूर्वी राजस्थान नहर योजना में किसी भी प्रकार का विवाद होने से मना किया है। जिसका प्रकाशन भी समाचार पत्रों में 04 मई को हुआ था। इन्हें दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय का कदम किसी भी प्रकार उचित नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के स्थान पर अन्य विकल्प खोजने में लगा हुआ है। राजस्थान राज्य को डराने का भी प्रयास कर रहे हैं इसीलिए मध्यप्रदेश न्यायालय में चला जाएगा जिससे यह योजना अटक जाएगी, यदि मध्यप्रदेश ने राजस्थान की तरह 75 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत पानी की निर्भरता पर अपस्ट्रीम में परियोजना बना ली तो राजस्थान की परियोजनाओं को पानी प्राप्त नहीं होगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस परियोजना के सभी घटकों पर काम रोकने का आदेश भी प्रसारित किया है।

एक पत्र में जल शक्ति मंत्रालय की और से अंकित किया गया है कि 2005 की 13वी बैठक में मध्यप्रदेश की अनापत्ति के संबंध में उल्लेख है किन्तु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में 50 प्रतिशत पानी की निर्भरता की सहमती के संबंध में कोई उल्लेख नही है। यह आश्चर्यमिश्रित रोचक तथ्य है, क्योकि इस परियोजना की चर्चा वर्ष 2014 के उपरांत आरम्भ हुई और केंदीय जल आयोग के निर्देशानुसार वर्ष हाईड्रोलोजी, फिजीबिलिटी एवं डी.पी.आर. वर्ष 2016-17 में तैयार की गई थी। इसके पूर्व इस नाम की परियोजना अस्तित्व में ही नही थी, फिर भी केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय वर्ष 2005 की बैठक में इस परियोजना में 50 प्रतिशत पानी की निर्भरता सम्बन्धी सहमती नही होने को आधार बना रहा है। यह एक मात्र आधार ही जल शक्ति मंत्रालय की छोटी एवं सामंती मानसिकता को प्रकट कर देता है।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को सिंचाई प्रधान परियोजना बनाने के लिए सार्थक पहल की जाती, जिससे 13 जिलों की भूमि को सिंचाई की सुविधा अधिक प्राप्त होती उन जिलो में सूखे पड़े बांध पानी से लबालब होते, भूमिगत जल स्तर में सुधार होता। इस परियोजना में अभी तक तो 49 प्रतिशत पानी, पीने के लिए, 8 प्रतिशत पानी दिल्ली-मुंबई गलियांरा सहित अन्य उद्योगों के लिए तथा शेष 43 प्रतिशत पानी सिंचाई के लिए रखा गया है। इस योजना के सिंचाई प्रधान होने पर 86 प्रतिशत पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो जायेगा। इसे सिंचाई प्रधान बनाना इस लिए भी अधिक युक्तिसंगत है कि 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से जल की योजना ग्रामीण भारत के लिए तैयार की गई है। जिसमें 3.60 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय में से 2.06 लाख करोड़ रुपये केंद्र का अंशदान घोषित है। राजस्थान के लिए 18 जुलाई 2022 तक 27,332.84 करोड रुपये की राशि का आवंटन किया जा चुका है। इसलिए पीने के पानी के लिए अन्य किसी परियोजना की आवश्यकता नहीं रह जाती है।जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के संबंध में उदार मन से विचार किया जाता तो इस परियोजना के पंख लग जाते। इसका एक पक्ष यह भी है कि जल के संबंध में सभी प्रकार की परियोजनाएं बनाने की शक्ति संविधान ने राज्यों को दी हुई है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे तो इस परियोजना की लागत में से 90 प्रतिशत तक की राशि केंद्र द्वारा दिए जाने का प्रावधान है, इससे यह परियोजना निर्धारित 7 वर्ष की अवधि के पहले ही पूर्ण होने की संभावना बन जाती है। इस परियोजना से राज्य में समृद्धि एवं खुशहाली आयेगी वही सरकारों के राजस्व में कई गुना बढोतरी हो जाएगी।

रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष
किसान महापंचायत

मोरेल बांध में दिखाई दिया आर्कटिक क्षेत्र का प्रवासी पक्षी सेडरलिंग

पांच हजार किमी से भी ज्यादा यात्रा कर पहुंचा प्रवासी पक्षी सेडरलिंग।

समुद्री पक्षी है सेंडरलिंग

लालसोट, (निसं)। क्षेत्र के मोरेल बांध पर राजस्थान प्रदेश में पहली बार आर्केटिक क्षेत्र के प्रवासी पक्षी सेडरलिंग की मौजूदगी देखी गई है। प्रमुख पक्षिविद एसोसिएट प्रोफेसर एवं बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर सुभाष पहाडिया ने बताया कि यह पक्षी सेडरलिंग आर्कटिक क्षेत्र से करीब पांच हजार किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय कर मोरेल बांध पहुंचा है। पहाड़ियां ने बताया कि यह आमतौर पर समुद्री पक्षियों की श्रेणी में गिना जाता है एवं अधिकतर समुद्री क्षेत्र में ही प्रवास करता है लेकिन एक छोटे से मोरेल बांध में इसका प्रवास करना पक्षी प्रेमियों के लिए कौतूहल का विषय एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मोरेल बांध पर अब तक ग्रेटर फ्लैमिंगो राजहंस, समुद्री बाज सहित कई संकटग्रस्त श्रेणी के प्रवासी पक्षी भी प्रवास कर चुके हैं। मोरेल बांध पर वातावरण सुरक्षित होने के कारण कई लंबी दूरी तय कर आने वाले विभिन्न श्रेणी के प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी से मोरेल बांध प्रावासी पक्षियों का स्वर्ग बनता जा रहा है। पक्षी बांध के निचले भाग जहां पानी भरा हुआ है वहां करीब आधा दर्जन की संख्या में दिखाई दिए है। यह सैंडपाइपर प्रजाति का ही एक छोटा पक्षी है जो लगभग बीस से पच्चीस सेमी लंबा विंगस्पान पेतीस से चालीस सेमी और वजन पचास से साठ ग्राम होता है। यह पक्षी उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक में प्रजनन करता है। सर्दियों में यह विश्व के कोस्टल भाग में प्रवास करता है।

उपेक्षित है स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों से जुड़ा वैर का शिलालेख

वैर, (निसं)। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का शिलालेख उपेक्षित पड़ा है। कस्वा वैर में स्थित ऐतिहासिक इमारत सफेद महल के सामने स्थित छोटे कुंड के बीचो बीच 11 अप्रैल 1976 को स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखकर इसकी स्थापना की गई थी। इस शिलालेख पर भावी पीढ़ी की जानकारी के लिए पंचायत समिति वैर के स्वतंत्रता संग्राम के शहीद व स्वतंत्रता सेनानी के नाम विधि विधान के साथ अंकित कराए गए थे। कुछ समय तक इस शिलालेख की देखभाल होती रही परंतु लंबे समय तक इसके रखरखाव के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया और यह शिलालेख आज तक उपेक्षित है।

इस शिलालेख पर 17 स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के नाम क्रमश: स्वर्गीय रमेश स्वामी, स्वर्गीय भगवत प्रसाद आर्य, स्वर्गीय रामजी लाल महासय, विद्या व्रत शास्त्री बल्लभगढ़, श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता, रामस्वरूप बजाज, रघुवीर सिंह पांडे आदि अंकित हैं।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 12 अक्टूबर, 2022

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2079, भरणी नक्षत्र सांय 5:10 तक, वज्र योग दिन 2:19 तक, वणिज करण दिन 1:45 तक, चन्द्रमा रात्रि 11:29 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मेष, मंगल-वृष, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-कन्या, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज राजयोग सांय 5:10 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सांय 5:10 से सूर्यास्त तक है। भद्रा दिन 1:45 से रात्रि 2:00 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:21 तक, शुभ 10:45 से 12:13 तक, चर 3:06 से सांय 1:30 तक, लाभ 4:32 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:28, सूर्यास्त 5:58

मेष
अपने आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्